33- एक व्यक्तिगत निर्देश (Private Reference) के मामले का मध्यस्थता करार (दूसरा प्रपत्र)

एक करार जो क ख आयु लगभग.....वर्ष आदि जो कि करार का एक पक्षकार है तथा ग घ आयु लगभग.....वर्ष आदि, जो शहर.....में..... रोड पर स्थित मेसर्स.....कम्पनी नामक व्यापारिक फर्म में भागीदार है, के बीच 20.....के.....के.....दिन किया गया है; और चूँकि दिनांक.....के भागिता (partnership) के एक करार के अधीन .....के कारोबार को.....शहर में प्रारम्भ किया; और चूंकि उक्त भागीदारों के बीच कुछ विवाद तथा मतभेद उत्पन्न हो
गये हैं, जिनका उक्त क ख अभिकथन करता है और उक्त ग घ उन्हें अस्वीकार करता है (यहॉ पर विद्यमान विवादों तथा मतभेदों का उल्लेख कीजिये) और चूंकि उक्त क ख का यह दावा है कि उपर्युक्त भागिता के करार के अधीन वह क्षतिस्वरूप.....रु0 पाने का अधिकारी है और ऐसे उल्लंघनों (breaches) के कारण उक्त भागिता भंग हो गयी और ऐसी दशा में परिसम्पत्तियों और दायित्वों (assets and liabilities) का, जैसा कि पक्षकार चाहते हैं, बॅटवार किया जाय; और चूँकि उक्त पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि उनके दावे तथा विवाद और मतभेद और प्रत्येक दशा में उक्त फर्म की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों तथा उक्त मध्यस्थ के करार से पक्षकारों के बीच आगे चलकर उठने वाले मतभेदों के सभी मामले का निपटारा मध्यस्थता के द्वारा आगे दिये उपबंधों के अधीन किया जाय। अतएव करार के पक्षकारों द्वारा यह इकरार किया गया कि करार के पक्षकारों के बीच के उक्त दावे तथा विवाद और बॅटवारे तथा मतभेद के अन्य सभी मामले को.....के निवासी ङ च नामक मध्यस्थ, जिन्हें क ख की पसन्द पर रखा गया तथा.....के छ ज नामक मध्यस्थ, जिन्हें ग घ की पसंद पर रखा गया, मध्यस्थता के लिए सौंप दिया जाय, जिससे कि वे इस करार के दिनांक से एक मास के भीतर अपना पंचाट दे दें और यदि मध्यस्थता के लिए एतद्द्वारा सौंपे गये विषयों पर ङ च तथा ट ठ के बीच मतभेद हो जाय तो एतद्द्वारा यह इकरार किया जाता है कि मतभेद के विषयों को उपर्युक्त ङ च तथा छ ज द्वारा ट ठ के अनिर्णायाकत्वा (umpirage) हेतु सौंप दिया जायेगा, जिससे कि ऐसा अधिनिर्णायक उस दिनांक से .....दिन के भीतर अपना पंचाट दे दें और प्रकाशित कर दें, जिस दिनांक को मध्यस्थों ने उक्त मामलों पर उनमें आपस में मतभेद होने के कारण तथा 20....के.....के..... दिन को तथा उसके पूर्व लिखित रूप से प्रमाणित करके अधिनिर्णायक को सौंप दिया था; और एतद्द्वारा आगे यह भी इकरार किया गया कि उक्त मध्यस्थों तथा अधिनिर्णायक को क्रमशः इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वे या तो स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति.....की उक्त फर्म के भू–गृहादि में प्रवेश कर सकते/सकता है, तथा किसी पुस्तक या रजिस्टर की सीलबंदी, निरीक्षण या कब्जे में कर सकेंगे या करा सकेगा तथा किसी कर्मकार, कर्मचारी या प्रबन्धक का साक्ष–परीक्षा (interview) कर सकेंगे/सकेगा तथा ऐसे व्यक्तियों की शपथ लेकर या अन्य रीति से साक्ष्य (मअपकमदबम) ले सकेंगे/सकेगा और दोनों या दोनों में किसी पक्षकार के द्वारा ऐसी साक्ष्य–परीक्षा, निरीक्षण, सीलबंदी या कब्जे में लेने तथा ऐसे अधिकृत व्यक्तियों
द्वारा भेजे गये साक्ष्य सम्बन्धी खर्चों के दिलाये जाने के आदेश देंगे/देगा और उक्त मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता अधिनियम 1940, या उसके संविधि आशोधन (statutory modification) के मध्यस्थता सम्बन्धी उपबंधों के अनुसार की जायेगी और उक्त अधिनियम या उसके किसी संशोधन के सभी प्रसंग (incident) तथा प्रभाव (consequences) होंगे। इस करार के साक्ष्य स्वरूप उपर्युक्त क ख तथा ग घ ने आगे.....पर..... .. उपरिलिखित वर्ष तथा दिन को हस्ताक्षर कर दिये हैं।
साक्षी :– (हस्ताक्षरित) क ख
(हस्ताक्षरित) ग घ
टिप्पणीः–यदि किसी मध्यस्थता के करार की शर्तों में विपरीत अभिप्राय न व्यक्त किया गया हो, तो यह समझा जायेगा कि मध्यस्थता अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दी गयी शर्तें भी, जहॉ तक वे निर्देश पर लागू होती हैं, उसमें सम्मिलित हैं।